Annexure-V

Uttarakhand Open University

Constitution of Research Advisory Committee (RAC) And Doctoral Research Committee/Research Degree Committee (RDC)

Uttarakhand Open University, Haldwani
Behind Transport Nagar, Teenpani Bypass Road Haldwani, 263 139
District- Nainital, Uttarakhand
Telephone No. 05946286047

पीएच0डी0 कार्यक्रम हेतु शोध सलाहकार समिति एवं शोध उपाधि समिति का गठन

प्रथम अध्यादेश के अध्याय 10 को प्रतिस्थापित करते हुए
(विश्वविद्यालय के अधिनियम के अध्याय 2.5(XIV), अनुच्छेद 32.2(क) एवं परिनियम 37(5) के अधीन शोध उपाधि अध्यादेश, 2023 से)

पीएच0डी0 कार्यक्रम हेतु शोध सलाहकार समिति एवं शोध उपाधि समिति का गठन

शोध सलाहकार समिति तथा इसके कार्य

- विश्वविद्यालय के परिनियम/अध्यादेश में परिभाषित, प्रत्येक पीएच0डी0 शोधार्थी के लिए एक शोध सलाहकार समिति(Research Advisory Committee) होगी। शोधार्थी का पर्यवेक्षक इस समिति का संयोजक होगा। इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे-

9.1 शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

9.2 शोधार्थी को अध्ययन ढांचे तथा शोध पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कराना।

9.3 शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

9.4 शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9.5 शोध सलाहकार समितिद्वारा छः मासिक प्रगति रिपोर्ट शोध उपाधि समिति को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी। यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को क्रियान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्टकारण दर्ज कर शोध उपाधि समिति को इसकी सिफारिश कर सकती है।

शोध सलाहकार समिति का स्वरूप निम्नवत होगा-

शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक-	संयोजक
सम्बन्धित विभाग के प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायकप्राध्यापकजो शोध निर्देशन हेतु अर्ह हों-	सदस्य

10 शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee)-

विश्वविद्यालय पीएच0डी0 कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ एक शोध उपाधि समिति होगी। इस समिति के निम्न उत्तरदायित्व होंगे-

शोध उपाधि

10.1 शोधार्थी के शोध शीर्षक का निर्धारण व अनुमोदन करना।

10.2 शोधार्थी शोध उपाधि समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शोध रूपरेखा के संबंध में एक प्रस्तुति देगा तथा समिति से आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।

10.3 शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

10.4 शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा को विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के लिये सिफारिश करना।

शोध उपाधि समिति का गठन निम्नवत होगा-

कुलपति अथवा उनके नामित -	अध्यक्ष
सम्बन्धित विद्याशाखा का निदेशक-	सदस्य
सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष/शोध पर्यवेक्षक-	संयोजक
कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ- जिसमें एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।	सदस्य
सम्बन्धित विद्याशाखा के प्राध्यापक -	सदस्य
निदेशक शोध-	सदस्य

10.5 पाठ्यकार्य पूर्ण करने की तिथि से छः माह के अन्तर्गत शोध उपाधि समिति (RDC) को अनिवार्य रूप से बुलाया जायेगा।